न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–69/2018/दावा/बउनवान/रमेश बनाम महावीर वगै0

जीसीएमएस संख्या 2018/00296

1. रमेश पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. शम्भूदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. गोविन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरान जिला बारां
4. मूलीबाई पत्नि स्व. श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति माली निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट</u>

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज आर्य

निर्णय दिनांक : 17.02.2025

दायरा दिनांक : 22.11.2011

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी परिवार के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं० ३82 रकबा 1.01 हे०, खसरा नं0 300 रकबा 0.35 हे0, खसरा नं0 301 रकबा 0.73 हे०, खसरा नं0 382 रकबा 0.50 हे०, खसरा नं0 435/457 रकबा 0.66 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.25 हे० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में खाता संख्या 127 में दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार खसरा नं0 135/526 रकबा 0.01 हे०, खसरा नं0 282/456 रकबा 0.91 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 हे० खाता संख्या 94 वाके माल भटेडिया तहसील मांगरोल में दर्ज रिकार्ड है इसमें खसरा नं० 282 एवं खसरा नं0 282/456 विवादित भूमि है जिसे आगे वाद–पत्र में विवादित लिखा जावेगा।
2. यह कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं० 282 व खसरा नं0 282/456 पर वर्षों से वादीगण निरन्तर काबिज काश्त है जिस पर बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवादी कम 1 अपने लिए अवैध रास्ता बनाना चाहता है।
3. यह कि प्रतिवादी अपने नापाक मंसूबो में कामयाब हो गया तो वादी परिवार को अपने हक अधिकार खाते व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल होना पड़ेगा क्योंकि खसरा नं0 282 व 282/456 एक ही खेत है जिसमें वादी कम 1 व 2 ने अपना हिस्सा तय करने के लिए मेड़ डाली है।

Scanned by CamScanner

4. यह कि प्रतिवादी कम 1 के खेत पर आने जाने का रास्ता जन्म से ही गांव की गडार से कुंआ तक आता है इसी रास्ते से गांव के सभी काश्तकार आते हैं लेकिन प्रतिवादी कम 1 जानबूझकर वादीगण के खाते की भूमि से अपना रास्ता बनाकर जबरन अवैध अतिचार करने पर आमादा है जिसके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से प्राप्त करना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है।

5. यह कि प्रतिवादी को न्याय हित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है कि विवादित खाता भूमि वादीगण पर भविष्य में किसी भी प्रकार का रास्ता निर्माण करने की चेष्टा न करें।

6. यह कि प्रतिवादी कम 2 को भू धारक होने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गई है।

7. यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा वादी को रास्ते के नाम पर माननीय न्यायालय में धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही का नोटिस जारी करवाने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

8. यह कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०) में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी कम 1 भविष्य में वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 282 व खसरा नं0 282/456 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी वैध या अवैध प्रतिनिधि से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने का प्रकरण दिनांक 04.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रतिवादीगण बन्द कर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन करने पर पाया कि वाद पत्र की विवादित आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1.01 हे0 एवं खसरा नं0 282/456 रकबा 0.91 हे0 पर वादीगण स्वयं के खाते की आराजी पर वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त है। प्रतिवादी कम 1 के खेत पर आने जाने का रास्ता जन्म से ही गांव की गडार से कुंआ तक आता है इसी रास्ते से गांव के सभी काश्तकार आते हैं, लेकिन प्रतिवादी कम 1 जानबूझकर वादीगण के खाते की भूमि से अपना रास्ता बनाकर जबरन अवैध अतिचार करने पर आमादा है जिसके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से प्राप्त करना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है। जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

ल्म 1 वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1.01 हे0 व खसरा नं0 282/456 रकबा 0.91 हे0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D" - 1)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :-69/2018/दावा/बउनवान/रमेश बनाम महावीर वगै0

जीसीएमएस संख्या 2018/00296

निर्णय दिनांक :- 17.02.2025

बउनवान:-

1. रमेश पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. शम्भूदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. गोविन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरान जिला बारां
4. मूलीबाई पत्नि स्व. श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति माली निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज आर्य

वादीगण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17.02.2025** को अंजना सहरावत पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी कम 1 वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1.01 हे0 व खसरा नं0 282/456 रकबा 0.91 हे0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। यह आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

Scanned by CamScanner